न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2019 (राजसमन्द आर्डर)

1. जडुलाल पिता उदा जी, जाति कीर, निवासी कीरों का मोहल्ला, मोही तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. नन्दलाल उदा जी, जाति कीर, निवासी कीरों का मोहल्ला, मोही तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती सोहनी बाई उदा जी, जाति कीर, निवासी कीरों का मोहल्ला, मोही तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. रामचन्द्र पिता मांगीया जी, जाति कीर, निवासी कीरों का मोहल्ला, मोही तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. अम्बालाल पिता मांगीया जी, जाति कीर, निवासी कीरों का मोहल्ला, मोही तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती भागवन्ती पुत्री मांगीया जी, जाति कीर, निवासी कीरों का मोहल्ला, मोही तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ उदयपुर ★ सत्यमेव जयते

बनाम

1. श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी हस्तीमल जी, जाति चपलोत, निवासी ठाकुरगढ़, सेवाली, नेशनल हाईवे 8, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. झडुलाल पिता लालू जी, जाति कीर, निवासी कीरों का मोहल्ला, मोही तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. भंवरलाल पिता मांगीया जी, जाति कीर, निवासी कीरों का मोहल्ला, मोही तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 31.05.2019 संशोधित आदेश
दिनांक 12.06.2019 प्र.सं. 69/2016

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री अमित सरूपरिया अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री सुनील बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 30–01–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम करणीनगर में प्रार्थीया के खाते की आराजी नंबर 3442, 3443, 3445 कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात पर आने-जाने का कोई रेकार्डेड अथवा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त आराजियात के पास विपक्षीगण की आराजी नंबर 3349, 3455, 3456, 3458 स्थित होकर उसमें से दक्षिण दिशा में कुंए के समीप होकर मुख्य सड़क की ओर 40 फिट रास्ता दिलाया जावे। प्रार्थीया नियमानुसार क्षति पूर्ति राशि जमा कराने को तैयार है।

अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार कुंवारिया को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट मंगवाई एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31-05-2019 को प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण की आराजी नंबर 3349, 3455, 3456, 3458 में से 13 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया। तत्पश्चात् दिनांक 12-06-2019 को संशोधित आदेश पारित करते हुए 13 फिट के स्थान पर 30 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09-08-2019 को प्रस्तुत की गयी है।

उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील बोहरा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 02-09-2019 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 23-07-2019 को प्राप्त हुई, किन्तु वह नकल अपूर्ण होने से पुनः दिनांक 06-08-2019 को नकल प्राप्त की। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अवधि में मानी जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का कोई ठोस एवं उचित कारण नहीं

उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

होने के आधार पर अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में अल्प विलम्ब हुआ है। प्रकरण में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 काफी प्रभावशाली होकर अपने प्रभाव एवं पैसे के बल पर पटवारी हल्का से मिलकर वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की भूमि से रास्ते का आदेश पारित करवा लिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की कय शुदा भूमि पर आने–जाने हेतु सदीप से उत्तर दिशा में रास्ता मौजूद है एवं मौके पर पक्की डामरीकृत सड़क है, जो मुख्य सड़क से होते हुए ग्राम मोही जाता है, जिसकी गूगल शीट अपीलान्ट ने प्रस्तुत की है और इसी रास्ते का उपयोग रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीया करती चली आ रही है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31–05–2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 12–06–2019 अपास्त किये जावें।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RLW (1) 1997 Page 264, 2001 DNJ (RJ) Page 204, AIR 1967 (Raj) Page 24, 1999 DNJ (RJ) Page 134, AIR 1998 (SC) Page 2276 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का मोही ने मौका रिपोर्ट दिनांक 19–10–2016 के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट अंकित किया है कि "कै[illegible] को वर्तमान में खेत में आने–जाने हेतु वर्तमान में [illegible] एवं खातेदारी भूमि में से आती [illegible] की घुमाव दूरी है।" बिन्दु संख्या 4 में अंकित किया कि [illegible] प्रार्थीया कैलाश देवी को आराजी नंबर 3449, 3455, 3456, 3458 से निकटतम रास्ता 400 मीटर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:58 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

दूरी रहती है।" अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए डी.एल.सी. दर से दुगनी कीमत अदा करने की शर्त पर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। अपीलान्ट का यह आरोप कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 काफी प्रभावशाली होकर अपने प्रभाव एवं पैसे के बल पर पटवारी हल्का से मिलकर वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट तैयार करवा ली, किन्तु मिलीभगत होने अथवा रिपोर्ट गलत होने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जो फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये गये हैं उससे रास्ते की दूरी की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। अपीलान्ट की अन्य आपत्ति कि प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की कय शुदा भूमि पर आने–जाने हेतु सदीप से उत्तर दिशा में रास्ता मौजूद है, किन्तु पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा बताये गये रास्ते को लम्बी दूरी का करीब 2.5 से 3 किमी का रास्ता बताया है, जबकि विपक्षीगण की आराजी नंबर 3449, 3455, 3456, 3458 से जो रास्ता दिया गया है, वह निकटतम दूरी का होकर मात्र 400 मीटर दूरी पर होना बताया है। तद्नसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पर्चा मौका के आधार पर रास्ते बाबत् जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31–05–2029 एवं संशोधित आदेश दिनांक 12–06–2019 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30–01–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:58 IST
Reason: SelfAttested